कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०)

// आदेश //

क्रमांक/1154/अ.वि.अ./वाचक/2025 कसडोल दिनांक /07/2025

इस न्यायालय का रा.प्र.क्र 202507021130000069/अ-62 वर्ष 2024-25 में पारित आदेश दिनांक ..../07/2025 आवेदक गणेश शंकर पिता मालिक राम साहू जाति तेली निवासी गायत्री चौंक कसडोल तहसील कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0) स्थित ग्राम कसडोल में शासकीय भूमि खसरा नंबर 454/4ख, रकबा 0.004 हे. भूमि पर घर व किराना दुकान के सामने नीलगिरी पेड़ का तना ऊपर है जो कभी भी घर के ऊपर गिरने की संभावना बना है। अतएव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत **डंगाल को छटनी करने** की अनुमति निम्नानुसार शर्तो पर दिया जाता है:-

शर्ते:-

01. वृक्षो को काटने की पारिश्रमिक आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
02. काटे गये वृक्षों को चिन्हाकित कर फोटोग्राफी किया जावें।
03. कलेवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
04. काटे गये वृक्षों की कलेवर की नीलामी वन विभाग/आवेदक द्वारा किया जाकर नीलामी की राशि नियमानुसार शासकीय कोष में जमा करें।
05. वृक्ष के डंगाल को छटनी सावधानी पूर्वक किया जावें।
06. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई भी वन पैदावार नही काटी जायेगी और न ही ले जाई जावेगी।
07. वृक्ष को छटनी करते समय किसी प्रकार का जनहानि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
08. नियम 07(4) एवं 8(2) में उल्लेखित है कि जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के 10 गुणा की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षा रोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जावेगा। वन विभाग द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विभाग के भूमि पर किया जावेगा।
09. वन मण्डलाधिकारी वृक्ष की डंगाल को छटनी एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते मे निक्षेपिता कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कसडोल.

क्रमांक/1155/अ.वि.अ./वाचक/2025 कसडोल दिनांक /07/2025

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. वनमंडलाधिकारी वन मंडल बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (वन) कसडोल को सूचनार्थ।
04. तहसीलदार कसडोल को सूचनार्थ।
05. आवेदक श्री गणेश शंकर पिता मालिक राम साहू जाति तेली साकिन गायत्री चौंक कसडोल को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कसडोल.

D:\02 DIGENDAR GANDHARAV\03 DHRUW BABU\04 JAI\02 M S WORD OFFICE\VRIKSH KATAI